कुलसचिव कार्यालय
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ–226007

संदर्भ संख्या :........................../सम्बद्धता अनु./2023

दिनांक : ....

रजिस्टर्ड/स्पीडपोस्ट/व्यक्तिगत

सेवा में,

प्रबन्धक,
समस्त सहयुक्त महाविद्यालय,
(लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी एवं रायबरेली)।

विषय : **नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों में प्राप्त सहयुक्तता के क्रम में प्रवेश की अनुमति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में सूच्य है कि जिन महाविद्यालयों को नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों की सहयुक्तता हेतु प्राप्त स्थलीय निरीक्षण आख्या के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2023–24 से प्रदान की गयी है, वह शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है कि यथा–मानकानुसार शिक्षकों के चयनोपरान्त अनुमोदन प्राप्त कर प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

अतः जिन **नवीन महाविद्यालयों** अथवा **पूर्व संचालित** महाविद्यालयों को नवीन **पाठ्यक्रमों/विषयों** के संचालनार्थ सत्र 2023–24 से सहयुक्तता प्रदान की गयी है, उनको निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक दशा में **अस्थायी सहयुक्तता पत्र में उल्लिखित शर्तों की पूर्ति** (यथा–मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन आदि) कर प्रत्येक दशा में 15.08.2023 तक **विश्वविद्यालय से प्रवेश की अनुमति प्राप्त** कर ली जाय। जैसा कि सहयुक्तता की शर्तों में भी उल्लेख किया गया है कि प्रवेश की अनुमति के बिना यदि प्रवेश लिया जाता है तो ऐसे प्रवेश अनुमन्य नहीं होंगे और विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे पाठ्यक्रमों/विषयों की परीक्षायें नहीं करायीं जायेंगी जिसके लिए सम्बन्धित महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होंगे। कृपया इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

(डॉ० विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

संख्या AF- 14494-96 दिनांक : 14/7/23

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव कुलपति को मा० कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियंत्रक, ल०वि०वि०।
3. इंचार्ज, वेबसाईट, ल०वि०वि० को इस आशय से प्रेषित कि समस्त सहयुक्त महाविद्यालयों को ई–मेल से प्रेषित करने एवं विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. गार्ड फाईल।

कुलसचिव